श्रीमती संगीता जाफरी विरूद्ध शासन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3800–दो/13 जिला – सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों या अभिभाषकों के हस्ताक्षर
../../14	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर तहसीलदार, सीहोर द्वारा प्रकरण क्रमांक अ–76/12–13 में जारी मांग सूचनापत्र दिनांक 16–8–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक अधिवकता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण आवेदक से भू–राजस्व के तौर पर बकाया की पुष्टि के लिए प्रचलित सूचनापत्र के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । पुनरीक्षण में यह कहा गया कि सूचनापत्र किसी आधार पर दिया गया है इसका उल्लेख नहीं है तथा अनुदान की राशि किस मद से और कितनी वसूली की जानी है इसका भी उल्लेख नहीं है इस कारण सूचनापत्र विधिसम्मत नहीं है । आवेदक के द्वारा जो आपत्ति इस न्यायालय में की जा रहीं हैं वे सूचनापत्र के उत्तर में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते और उसकी पुष्टि में प्रमाण प्रस्तुत करते किंतु ऐसा न करते हुए उनके द्वारा सीधे इस न्यायालय के समक्ष आने का कोई औचित्य नहीं है । आवेदक को अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अपरिपक्व होने से अस्वीकार की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । (एम.के. सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर	

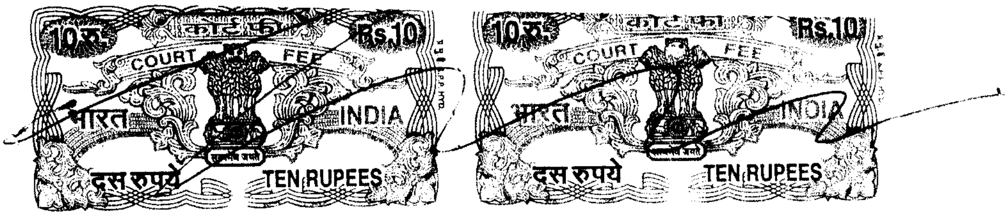

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण कमांक /निगरानी/2013

श्रीमति संगीता जाफरी पत्नि श्री अवनीश जाफरी
निवासी मिशन कंपाउड सीहोर जिला सीहार ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म0प्र0 शासन ....प्रतिनिगरानीकर्ता